भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 891

उत्तर देने की तारीख 23.07.2026

जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं

891. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर के थारू जनजाति-बहुल और वन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आवास और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, जनजातीय छात्रावासों, छात्रवृत्तियों और कौशल विकास योजनाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार थारू जनजाति के लोगों को हस्तशिल्प, लघु वन उपज, स्वयं सहायता समूहों, कृषि और अन्य पारंपरिक आजीविकाओं में शामिल करके उन्हें प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास और स्थानीय जनजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष कार्य योजना को लागू कर रही है और यदि हां, तो श्रावस्ती और बलरामपुर के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती तथा बलरामपुर जिलों के थारू जनजाति-बहुल क्षेत्रों सहित जनजातीय गांवों तथा बस्तियों में गंभीर अंतरों (कमियों) की संतृप्ति तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सड़क, आवास, पेयजल, स्वच्छता, आजीविका एवं डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित उपायों हेतु 2 अक्तूबर, 2024 को "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" (डीएजेजीयूए) नामक एक विशेष मेगा बहु-क्षेत्रीय मिशन का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 17 मंत्रालयों की योजनाओं के 25 उपायों के अभिसरण के माध्यम से जनजातीय गांवों में जनजातीय आबादी का समग्र तथा सतत विकास करना है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर तथा श्रावस्ती जिलों में क्रमशः 16 तथा 2 गांवों सहित 26 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जनजाति-बहुल गांवों के 549 जिलों तथा 2,911 ब्लॉकों के कुल 63,843 गांव सम्मिलित हैं।

(ख) केंद्रीय बजट 2018-19 में, भारत सरकार ने घोषणा की कि, जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से अधिक अजजा आबादी और कम

से कम 20000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना की जाएगी। ईएमआरएस खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाओं के साथ नवोदय विद्यालयों के समान होगें। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस), एक स्वायत्त संगठन की स्थापना राज्य ईएमआरएस समितियों के साथ समन्वय में ईएमआरएस की योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में कोई भी ईएमआरएस स्वीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि इनके कोई भी ब्लॉक निर्धारित दोहरे मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश सहित देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रहा है:

i) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)
ii) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)
iii) अजजा छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।
iv) अजजा छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)
v) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

डीएजेजीयूए सहित जेएसएस योजना के माध्यम से अभिसरण तंत्र के अंतर्गत, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के जरिये जनजातीय युवाओं हेतु कौशल विकास के अवसरों को भी सुगम बनाया जा रहा है।

"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" (डीएजेजीयूए) के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदन दिया है।

क्र.सं.	उपाय	जिला	इकाई	अनुमोदित निधि
1	आवासीय विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी (स्टॉफ) आवास	श्रावस्ती	1	175
2	आश्रम/जनजातीय क्षेत्र स्कूल में शौचालय परिसर का निर्माण	बलरामपुर	3	60
3	आश्रम/जनजातीय क्षेत्र स्कूल में शौचालय परिसर का निर्माण	श्रावस्ती	1	20

(ग) जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (टीएमएमसी) डीएजेजीयूए के तहत 25 प्रमुख उपायों में से एक हैं। टीएमएमसी विशेष रूप से जनजातीय कल्याण के आर्थिक और विपणन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जनजातीय समुदायों के अद्वितीय उत्पाद बाजार में सफल हो सकें। टीएमएमसी कौशल विकास और उद्यमिता प्रयासों को पूरा करने में मदद करते हैं। मंत्रालय ने डीएजेजीयूए के तहत उत्तर प्रदेश में 100 लाख रुपये की राशि के एक टीएमएमसी को मंजूरी दी है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को सुदृढ़ करना और आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। वीडीवीके के तहत जनजातीय लाभार्थियों को मूल्य संवर्धन, उद्यमिता जागरूकता और विकास से संबंधित प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है जो उन्हें प्रचलित बाजार मानकों के अनुसार अपने उत्पादों को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करता है, जिसमें व्यक्तिगत जनजातीय कारीगर, जनजातीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) समूह, प्रतिष्ठित एनजीओ, सरकारी एजेंसियां आदि शामिल हैं जो जनजातीय कारीगरों के साथ काम करते हैं।

दिनांक 31.03.2025 तक कुल 5927 आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादकों को ट्राइफेड के साथ सूचीबद्ध किया गया है, जो 3,05,485 परिवारों से जुड़े हैं। ट्राइफेड ने देश भर के 132 थारू जनजातीय कारीगरों को सूचीबद्ध किया है, जो 2716 परिवारों से जुड़े हुए हैं। इसमें जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में 01 सूचीबद्ध थारू जनजातीय कारीगर शामिल हैं, जो 10 परिवारों से जुड़ा है। (अद्यतन किया जाना है)

(घ) सरकार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती तथा बलरामपुर जिलों के थारू-बहुल वन क्षेत्रों सहित देश भर में जनजातीय समुदायों के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में अभियान के अंतर्गत पहचाने गए जनजातीय गांवों तथा बस्तियों को सहभागी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकार की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभों की संतृप्ति तथा आवश्यकता-आधारित उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से कवर किया जा रहा है, जिनमें श्रावस्ती तथा बलरामपुर जिलों की थारू आबादी शामिल है।
